न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) : 03 / 2023
दायर दिनांकः 14.01.2023
निर्णय दिनांक 24.11.2025

:: अनवान ::

भंवरसिंह पिता दौलतसिंह जी जाति राजपूत आयु 60 वर्ष निवासी रेहठ की भागल, दोवड, तहसील व जिला राजसमंद (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

1. खमाण लाल पिता स्व0 केशा जो भील आयु वयस्क
2. नंदु बाई पुत्री स्व0 केशा जो भील आयु वयस्क
3. नानु बाई पुत्री स्व0 केशा जो भील आयु वयस्क
4. फतहलाल पुत्र स्व0 केशा जो भील आयु वयस्क
5. रेखा बाई पुत्री स्व0 केशा जो भील आयु वयस्क
6. रूपी बाई पुत्री स्व0 केशा जो भील आयु वयस्क
7. शंकरलाल पुत्र स्व0 केशा जो भील आयु वयस्क
   निवासीयान दोवड, तहसील व जिला राजसमंद (राज0)
8. राजस्थान राज्य जरियेण तहसीलदार साहब, राजसमंद

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन निरस्तीकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 बाबत स्व0 केशा पिता रोडा जी भील निवासी दोवड तहसील राजसमंद को राजस्व गांव दोवड, तहसील व जिला राजसमंद की आराजी नंबर 1902 रकबा 1) 2 एक बीघा दो बिस्वा भूमि मिसल संख्या 413 सन 1989 के जरिये दिनाक 21–9–1989 के आवंटन हुई, उसे निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः–

1– श्री योगेश कावडिया, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित।
2– विपक्षी संख्या 01 व 07 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)।
3– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 08 उपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियमन 1970 विरूद्ध आदेश क्रमांक 413/1989 दिनांक 21.09.1989 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव दोवड, तहसील व जिला राजसमंद में स्थित आ0 नं0 1902 रकबा 1–02 एक बीघा दो बिश्वा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अपने बाप दादाओं के समय से ही 40 वर्षों पूर्व से कब्जे चली आने से और प्रार्थी के बाप दादाओं के समय से ही उक्त भूमि पर भेरूजी देवता का मंदिर व कालका व विष्णु देवी का मंदिर व 2 सराय व 1 पशु के पीने के लिए पानी की प्याऊ व मंदिर में आने जाने यात्रियों के लिए कार पार्किंग छः पट्टी का एक होल सराय के बाहर यात्रियों के बैठने के लिए होल के ऊपर लोहे के परतनुमा छत व सड़क भी बनी हुई है। उक्त मंदिर की सेवा पूजा प्रार्थी ही कई वर्षों से कर रहा है, उक्त भूमि में पानी का कुआ भी है, जो कि 80 फीट गहरा है। उक्त कुआ प्रार्थी ने खुदवाया है। उक्त मंदिर के कुवे पर विद्युत कनेक्शन किया हुआ है। जो प्रार्थी के नाम पर है। स्व0 केशा पिता रोडा जी भील का स्वर्गवास लगभग 8–9 साल पूर्व हो चुका है और स्वर्गीय केशा पिता रोडा जी भील कभी भी आवंटित भूमि पर कास्त करने नहीं आया न ही उसका कभी कब्जा रहा है। प्रार्थी द्वारा अभी हाल में राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर पता चला कि उक्त आराजी नंबर 1902 रकबा 1) 2 एक बीघा दो बिस्वा भूमि स्व0 केशा के नाम पर राजस्व रेकर्ड मे गैर खातेदारी में अंकित होकर स्व0 केशा जी की मृत्यु के पश्चात विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 पुत्र/पुत्री के नाम पर गैर खातेदारी से दर्ज है। जिससे दुखी व व्यथित व पीडित होकर प्रार्थी यह आवंटन निरस्तीकरण की याचिका निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है। स्व0 केशा जो कि विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 के पिता है, को किया गया आवंटन अवैध, विधि विरुद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होकर काबिल निरस्त है। आवंटन से पूर्व राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की पालना नहीं की गईं, आवंटन के पश्चात भी स्व0केशा ने नियमों की कोई पालना नहीं की है, जिससे आवंटन निरस्त योग्य है। कृषि भूमि के आवंटन से पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में वर्णित मेन्डेटरी प्रोविजन की पालना ही जानी चाहिये :–

(1) नियम 4 के तहत सार्वजनिक एवं राजकीय भूमि दर्शाई, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है।
(2) नियम 6 के तहत दर्ज विशेष के व्यक्तियों की भूमि आरक्षित रखने का प्रावधान है।
(3) नियम 7 के तहत 30 या 15 दिन जो भी समय समय पर जारी की गई विज्ञप्तियों मे प्रावधान है, पूर्व उदघोषणा जारी की जाती है।
(4) नियम 8 के तहत भूमिहीन कृषको से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
(5) नियम (9) के तहत उन आवेदन पत्रो को पंजिका मे पंजिबद्ध किया जाता है।
(6) नियम (10) के तहत उप खण्ड अधिकारी द्वारा जांच की जाती है।
(7) नियम (11) के तहत प्राथमिकता तय की जाती है।
(8) नियम (12) के तहत भूमि जो आवंटित की जाती है, उसका निर्धारण किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(9) नियम 13 के तहत आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया जाता है

उक्त आवंटन में उक्त मेन्डेटरी प्रावधान का पालन नहीं करते हुए स्व0 केशा को आवंटित की गई जो काबिले निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे। विवादित भूमि पर प्रार्थी अपने बाप दादाओ के समय से काबिज है, स्व.केशा जो कि विपक्षी संख्या 1 से लगायत तक का पिता है, को आवंटित शुदा भूमि राजस्व गांव दोवड़ तहसील व जिला–राजसमंद मे आराजी सं. 1902 रकबा 1) 2 एक बीघा दो बिस्वा भूमि पर प्रार्थी अपने बाप दादोओं के समय से चली आने से बाप दादा के समय से ही उस पर मंदिर, सराय, कुआ पार्किंग स्थल आदि पक्के निर्माण कर रखे है, और विधुत कनेक्शन भी हो रखे है, और प्रार्थी का काफी पुराना कब्जा है। उक्त भूमि के आवंटन मिसल संख्या 413 सन 1989 दिनांक 21.9.89 मे श्रीमान उप जिलाधीश महोदय, राजसमंद द्वारा राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियत 15 के तहत मृतक केशा के नाम पारित आदेश में मृतक केशा का अंगुठा छाप विद्यमान है, व निशानी केशा लिखा हुआ है, अर्थात मृतक केशा हस्ताक्षर करता है, या अगुंठा निशानी करता है, दोनों ही आवंटन पत्रावली पर विद्यमान है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मृतक केशा का हस्ताक्षरित सन्देहास्पद है। उक्त किया गया आवंटन अवैधानिक विधि विरुद्ध है, जो काबिले निरस्त योग्य है। आवंटन नियम 14 की कोई पालना नहीं की गई है, मृतक केशा ने प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग को नही जोता गया, तथा शेष क्षैत्र के द्वितीय वर्ष में नहीं जोता गया, यहां तक कि कभी भी मृतक केशा व उसके पश्चात विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 तक का कब्जा ही नहीं रहा है। नियम 14 (3) के तहत भूमि पर कास्त नहीं की गई है, नियम 14 (3) का उल्लंघन आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की याचिका खिलाफ विपक्षी संख्या 1 से 7 स्वीकार की जाकर मृतक केशा को राजस्व गांव दोवड, पटवार क्षैत्र सुंदरचा वर्तमान पटवार सर्कल कानादेव जी का गुडा, तहसील राजसमंद की आराजी नंबर 1902 रकबा 1) 2 बिस्वा भूमि आवंटित की गईं जो निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी के मंदिर, सराय, प्याऊ पार्किंग स्थल, कुआ को नियमन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध दिनांक 08.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया किराजस्व गांव दोवड, तहसील व जिला राजसमंद में स्थित आ0 नं0 1902 रकबा 1–02 एक बीघा दो बिश्वा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अपने बाप दादाओं के समय से ही 40 वर्षों पूर्व से कब्जे चली आने से और प्रार्थी के बाप दादाओं के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

समय से ही उक्त भूमि पर भेरूजी देवता का मंदिर व कालका व विष्णु देवी का मंदिर व 2 सराय व 1 पशु के पीने के लिए पानी की प्याऊ व मंदिर में आने जाने यात्रियों के लिए कार पार्किंग छः पट्टी का एक होल सराय के बाहर यात्रियों के बैठने के लिए होल के ऊपर लोहे के परतनुमा छत व सड़क भी बनी हुई है। उक्त मंदिर की सेवा पूजा प्रार्थी ही कई वर्षों से कर रहा है, उक्त भूमि में पानी का कुआ भी है, जो कि 80 फीट गहरा है। उक्त कुआ प्रार्थी ने खुदवाया है। उक्त मंदिर के कुवे पर विद्युत कनेक्शन किया हुआ है। जो प्रार्थी के नाम पर है। स्व0 केशा पिता रोडा जी भील का स्वर्गवास लगभग 8–9 साल पूर्व हो चुका है और स्वर्गीय केशा पिता रोडा जी भील कभी भी आवंटित भूमि पर कास्त करने नहीं आया न ही उसका कभी कब्जा रहा है। भूमि के आवंटन मिसल संख्या 413 सन 1989 दिनांक 21.9.89 मे श्रीमान उप जिलाधीश महोदय, राजसमंद द्वारा राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियत 15 के तहत मृतक केशा के नाम पारित आदेश में मृतक केशा का अंगुठा छाप विद्यमान है, व निशानी केशा लिखा हुआ है, अर्थात मृतक केशा हस्ताक्षर करता है, या अगुंठा निशानी करता है, दोनों ही आवंटन पत्रावली पर विद्यमान है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मृतक केशा का हस्ताक्षरित सन्देहास्पद है। उक्त किया गया आवंटन अवैधानिक विधि विरुद्ध है, जो काबिले निरस्त योग्य है। आवंटन नियम 14 की कोई पालना नहीं की गई है, मृतक केशा ने प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग को नही जोता गया, तथा शेष क्षैत्र के द्वितीय वर्ष में नहीं जोता गया, यहां तक कि कभी भी मृतक केशा व उसके पश्चात विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 तक का कब्जा ही नहीं रहा है। नियम 14 (3) के तहत भूमि पर कास्त नहीं की गई है, नियम 14 (3) का उल्लंघन आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व गांव दोवड, तहसील व जिला राजसमंद में स्थित आ0 नं0 1902 रकबा 1–02 एक बीघा दो बिश्वा भूमि में किये गये आवंटन दिनांक 21.09.1989 को कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत नियामानुसार आवंटित की गई थी। अतः आवंटन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 के उप नियम 4 के तहत आवंटन दिनांक 21.09.1989 को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत हुआ हैं। यहॉ पर प्रार्थी भंवरसिंह पिता दौलत सिंह का यह कथन है कि इस भूमि पर दो मंदीर बने हुए है जिनकी सेवा पूजा वो कर रहा हैं तथा उसका मकान भी बना हुआ हैं और वह उस पर प्याज की खेती भी करता हैं। इस आधार पर विपक्षी सं. 1 से 7 के पूर्वाधिकारी श्री केशा को किया गया आवंटन जो कि वर्ष 1989 में किया गया था उसे निरस्त दिया जाये क्योकि उस भूमि पर कभी भी उनका कब्जा नही रहा हैं तथा प्रार्थी का ही इस कब्जा रहा हैं। तो इस संबंध में उनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो यह साबित करता हो कि वर्ष 1989 के बाद कभी अप्रार्थीगण उस पर काबिज नही रहे हैं। हालाकि यह सही बात है कि वर्तमान

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

में उसी भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा न होकर प्रार्थी द्वारा कब्जा कर मकान भी बना किया तथा दो मंदीर भी बना लिये हैं परन्तु इस आधार पर आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाना और एक अनुसुचित जनजाति के व्यक्ति को नियमानुसार आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायहित में मैं उचित नही समझता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो दस्तावेज शामिल हैं। उससे जाहिर होता है कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाकर उक्त आवंटन किया गया हैं। केवल मात्र अनुसुचित जनजाति के व्यक्ति की आवंटित भूमि पर कब्जा कर लेने से उसका आवंटन निरस्त किया जाना मैं न्यायोचित नही समझता हूँ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)